केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

दिनांक: 01.02.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/32

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00032
CICOM/R/2017/01277

अपीलकर्ता : श्री उमेश प्रसाद सिंह,
सर्कस मैदान, पोस्ट ऑफिस रोड,
बड़ी अलीगंज, पाकुड़ – 816107.
झारखंड ।

निर्णय की तारीख : 01.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.10.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.10.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.01.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 09.10.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 05.08.2017 को आयोग को प्रेषित अपील के संबंध में सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 27.10.2017 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी । उसके बाद अपीलकर्ता का दिनांक 02.12.2017 एक पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें अपीलकर्ता ने उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा जारी अठारह अन्य पत्रों का भी उल्लेख किया है, परन्तु उक्त पत्र में अपीलकर्ता द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना से वे संतुष्ट हैं या नहीं, केवल श्री एस. सी. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना का पत्र सं. एवं दिनांक का उल्लेख है । उक्त पत्र के संदर्भ में अपीलकर्ता को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.01.2018 को पत्र सं. CIC/FAA/2017/Dy. No.183218/Misc. के माध्यमसे सूचित किया जा चुका है कि "सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का न्यायायिक क्षेत्राधिकार केवल अपने कार्यालय में प्राप्त आर.टी.आई. आवेदनों तक ही सीमित है । किसी अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों या शिकायतों पर कार्यवाही करना केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के न्यायायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है" ।

2. अपीलकर्ता के दिनांक 09.10.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 38 एफ 531805 अपीलकर्ता को वापस किया जाता है ।

संलग्नक - दस रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 38 एफ 531805

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
02 FEB 2018
D. No.........
Initials.........